

तारीख	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग(डीग)	नम्बर व तारीख
तारीख हुकम	पटवारी, पटवार मंडल, <del>कौटोली</del> बनाम राजस्थान सरकार हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज किस्म प्रार्थना पत्र:- अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट 1956	अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
26.11.2025	<p>आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पटवारी, पटवार मंडल <del>कौटोली</del> द्वारा पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जाच दर्ज रजिस्टर किया गया। आवेदन पत्र के साथ भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.04.2025 की प्रति पेश की गई। तहसीलदार (भू.अ.) डीग की रिपोर्ट क्रमांक <del>2/2025/3395</del> दि. 26.11.25 से जाच रिपोर्ट प्राप्त हुई। पटवारी, पटवार मंडल <del>कौटोली</del> के निवेदन पर सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात व तहसीलदार <del>डीग</del> की जाच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा पटवारी, पटवार मंडल <del>कौटोली</del> ने मौखिक निवेदन किया है कि बाकें ग्राम <del>जोगेली</del> स्थित भूमि जमाबंदी संवत् 2076-79 के खाता संख्या 112 खसरा नं. <del>492</del> <del>2025</del> <del>रि-6</del> के काश्तकार <del>यादव</del> पुत्र <del>महेन्द्र</del> हिस्सा <del>जाट</del> जाति <del>जाट</del> निवासी <del>जोगेली</del> खातेदार राहिन हिस्सा <del>1/10</del> बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा <del>कौर</del> के स्थान पर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा <del>कौर</del> दुरुस्त किया जावे।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप तथा तहसीलदार <del>डीग</del> की स्पष्ट अनिश्चया के आधार पर हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है।</p> <p><b>आदेश</b></p> <p>अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा अंतर्गत 136 एल0आर0एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया बाकें ग्राम <del>जोगेली</del> स्थित भूमि जमाबंदी संवत् 2076-79 के खाता संख्या 112 खसरा नं. <del>492</del> <del>रि-6</del> के काश्तकार <del>यादव</del> पुत्र <del>महेन्द्र</del> हिस्सा <del>1/10</del> जाति <del>जाट</del> निवासी <del>जोगेली</del> खातेदार राहिन हिस्सा <del>1/10</del> बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा <del>कौर</del> के स्थान पर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा <del>कौर</del> दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार <del>डीग</del> को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहरीर जारी हो। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकनीक दाखिल दफ्तर हों।</p> <p>निर्णय आज दिनांक ..... को न्यायालय हाजा में सुनाया गया।</p>	

(मुकेश चौधरी)

उपखण्ड अधिकारी  
डीग (जिला डीग)